# कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड शासन
अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक 1138 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक, जनवरी, 03, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के गौला रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावित गौला नदी हेतु आगामी 10 वर्षो के लिए एफ0सी0 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव।

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-FC(Pt.IV) दिनांक 14.12.2022 ।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का प्रतिउत्तर प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 3941/12–1 दिनांक 02.01.2022 से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

| क्र0 सं0 | आपत्ति | प्रतिउत्तर |
|---|---|---|
| i. | The State / UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed taht the mining plan is under process for approval for 5 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक का अनुमोदित/स्वीकृत माईनिंग प्लान उपलब्ध कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही अनुमोदित/स्वीकृत माईनिंग प्लान परिवेश पोर्टल पार्ट–1 में भी अपलोड किया गया है। |
| ii. | KML files of the CA area measuring 250.0ha and 173.65 ha have not be submitted, which may be provided. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2022–23 में किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण कुल 250.0 है0 (तराई पूर्वी वन प्रभाग 160.00 है0, नैनीताल वन प्रभाग– 90.00 है0) की KML Files की सी0डी0 प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अवशेष 173.65 ha क्षतिपूरक वृक्षारोपण को कैम्पा योजना के वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है अर्थात 173.65 है0 वृक्षारोपण क्षेत्र के KML Files वर्तमान में उपलब्ध किया जाना संभव नहीं है। |
| iii. | As per the DSS analysis Dogadi Block Plot-1B(12ha), Dogadi block Plot-1c(30ha), and Dogadi I Beat, Plot No.1B(9ha) are partially falling on the river bed. Therefore the Correct KML file of these CA areas may be provided. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files की सी0डी0 प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। |
| iv. | Some of the CA sites are found overlapping. These CA sites are (1) Chinni 14 Plot-1(10ha), and Chini 14, Plot 2(10ha),(2) Dogadi Block Plot&1b(12ha) and Dogadi I Beat, Plot NO. 1b (9ha). correct KML file may be provided. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files Online की सी0डी0 प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। |

| क्र0 सं0 | आपत्ति | प्रतिउत्तर |
|---|---|---|
| v. | Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28-03-2019. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार एफ0सी0ए0 दिशानिर्देशों की पुस्तिका के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप में Cost Benefit Analysis तैयार कर परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है। |
| vi. | The State Govt has provided the survival percentage of various CA plantation which varies form 5-96%. The reasons/justification for the low survival percentage may be specified.<br><br>Further the IRO has carried out the Site Inspection of CA sites in this case it has been observed that as per the report of IRO(copy enclosed) the area of Kot Kharra S.No. 81-77 is 16.0 ha whereas the state has mentioned the same to be 14.0ha only, which may be looked into and corrected. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्रेपित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूची को पुनरीक्षित कर मानकों से कम सफलता प्रतिशत वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों के स्थल विशेष कारण/औचित्य निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। परिवेश पोर्टल पार्ट–2 के additional information में भी उक्त प्रारूप अपलोड किया गया है।<br><br>साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग स्तर पर संधारित अभिलेखों एवं वृक्षारोपण पंजिका अनुसार कोटखर्रा द0अ प्लाट संख्या 77, 80, 81 भाग का वास्तविक क्षेत्रफल 14.00 है0 है। संभवतः आई0आर0ओ0 कार्यालय से लिपिकीय त्रुटिवश 14.00 है0 के स्थान पर 16.00 अंकित किया गया प्रतीत होता है। |
| vii. | As per the condition no.(ix) of the previous approval the State Government was required to constitute a committee to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of miner minerals after 31st day of January in a year was to be allowed only after reciept of certificate from the Monitoring Committee that the conditions, stupulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactory been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year". The copy of notification of the said committee and action taken reports of the committee may be provided. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की अनुमति संख्या–F.No-8-61/1999-FC, dated-23.01.2013 की शर्त संख्या–9 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग की पत्र संख्या– 14-1/X-3-13-08(14)/2009, दि0 29.01. 2013 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त स्वीकृति आदेश दिनांक–23 जनवरी, 2013 में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की गयी है। वर्ष 2017 से 2022 तक अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नको सहित सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Sandeep.bhandari01@gmail.com/campworks

पत्रांक 1138 /127 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 3941/12—1 दिनांक 03.01.2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Deepak
03/01/23

Sandeep.bhandari01@gmail.com/campworks

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी**

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्र संख्या 394 / 12-1 दिनांक, हल्द्वानी, 02/01/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :– Renewal of diversion of forest land 1497 ha of forest land favour of uttarakhand forest Devlopment corporation mining Division, Haldwani for collection of minor Minerals from Gaula river in Haldwani and Tarai east Forest Division, Disti Nainital (Uttarakhand)(Online proposal No. FP/Uk/149754/2021)-reg.

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक–File No.8-16 /1999-FC(Pt.IV) dated: 14th December,2022...

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित के क्रम में भारत सरकार द्वारा 7 बिन्दुओं पर आपत्तियां लगायी गयी हैं। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक–1346 / 12–1 दिनांक–31.12.2022 से आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया है। प्रयोक्ता अभिकरण की प्रति मूल में संलग्न है। ( संलग्न–01)

| क्र0 सं0 | आपत्ति | उत्तर |
|---|---|---|
| i. | The State / UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, hwoever, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed taht the mining plan is under process for approval for 5 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अनुमोदित / स्वीकृत माईनिंग प्लान वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक प्रेषित किया गया है, जो उक्त पत्र के साथ संलग्न है एवं परिवेश पोर्टल पार्ट–1 में भी अपलोड किया गया है। |
| ii. | KML files of the CA area measuring 250.0ha and 173.65 ha have not be submitted, which may be provided. | उक्त बिन्दु के अनुपालन में वर्ष 2022–23 में किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण कुल 250.0 ha (तराई पूर्वी वन प्रभाग 160.00 है0, नैनीताल वन प्रभाग– 90.00 है0) की KML Files की सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित . है (संलग्न–02)। अवशेष 173.65 ha क्षतिपूरक वृक्षारोपण को कैम्पा योजना के वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्ययोजना में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है। अर्थात 173.65 है0 वृक्षारोपण क्षेत्र के KML Files वर्तमान में उपलब्ध किया जाना संभव नहीं है। |
| iii. | As per the DSS analysis Dogadi Block Plot-1B(12ha), Dogadi block Plot-1c(30ha), and Dogadi I Beat, Plot No.1B(9ha) are partially falling on the river bed. Therefore the Correct KML file of these CA areas may be provided. | उक्त बिन्दु के अनुपालन में सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files की सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न–03) |
| iv. | Some of the CA sites are found overlapping. These CA sites are (1) Chinni 14 Plot-1(10ha), and Chini 14, Plot 2(10ha),(2) Dogadi Block Plot&1b(12ha) and Dogadi I Beat, Plot NO. 1b (9ha). correct KML file may be provided. | उक्त बिन्दु के अनुपालन में सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files Online की सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्न–04) |
| v. | Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28-03-2019. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न पत्रांक–1346 / 12–1 दिनांक–31.12.2022 एफ0सी0ए0 दिशानिर्देशों की पुस्तिका के अनुसार निर्धारित प्रारूप में Cost Benefit Analysis तैयार कर परिवेष पोर्टल में अपलोड किया जा चुका है एवं उक्त पत्र के साथ संलग्न भी किया गया है। (संलग्न - 05) |

| | | |
|---|---|---|
| vi. | The State Govt has provided the survival percentage of various CA plantation which varies form 5-96%. The reasons/justification for the low survival percentage may be specified.<br><br>Further the IRO has carried out the Site Inspection of CA sites in this case it has been observed that as per the report of IRO(copy enclosed) the area of Kot Kharra S.No. 81-77 is 16.0 ha whereas the state has mentioned the same to be 14.0ha only, which may be looked into and corrected. | पूर्व में प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूची को पुनरीक्षित कर मानकों से कम सफलता प्रतिशत वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों के स्थल विशेष कारण/औचित्य संलग्न प्रारूप में प्रेषित हैं (संलग्न–05)। ऑनलाईन पोर्टल परिवेश के पार्ट–2 के additional information में भी उक्त प्रारूप अनुसार सूची को अपलोड किया गया है।<br><br>प्रभाग स्तर पर संधारित अभिलेखों एवं वृक्षारोपण पंजिका अनुसार कोटखर्रा द0अ प्लाट संख्या 77, 80, 81 भाग का वास्तविक क्षेत्रफल 14.00 है0 है। संभवतः आई0आर0ओ0 कार्यालय से लिपिकीय त्रुटिवश 14.00 है0 के स्थान पर 16.00 अंकित किया गया प्रतीत होता है। |
| vii. | As per the condition no.(ix) of the previous approval the State Government was required to constitute a committee to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of miner minerals after 31st day of January in a year was to be allowed only after reciept of certificate from the Monitoring Committee that the conditions, stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactory been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year". The copy of notification of the said committee and action taken reports of the committee may be provided. | भारत सरकार की अनुमति संख्या–F.No-8-61/1999-FC, dated-23.01.2013 की शर्त संख्या–9 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग की पत्र संख्या– 14-1/X-3-13-08(14)/2009, दि0 29.01.2013 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त स्वीकृति आदेश दिनांक–23 जनवरी, 2013 में उल्लेखित शर्तो के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की गयी है। वर्ष 2017 से 2022 तक अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है (संलग्न–07) |

<u>संलग्नः–उपरोक्तानुसार प्रस्ताव चार प्रतियों में।</u>

भवदीय,

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांकः–3951 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
3. प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।